

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1006  
उत्तर देने की तारीख : 27.06.2019

एमएसएमईएस के अंतर्गत परियोजना  
अनुमोदन/मंजूरी

1006. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:  
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने में देरी ने कुछ निवेशकों को अतीत में परियोजनाओं को स्थगित करने पर मजबूर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केंद्र सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) को तीन साल के लिए बिना अनुमोदन या मंजूरी के परियोजना शुरू करने की अनुमति देने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं/उद्देश्य क्या हैं;
- (घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने एमएसएमईएस को तीन साल के लिए बिना किसी अनुमोदन या मंजूरी के परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है;
- (ङ) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं; और
- (च) केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन और मंजूरी के मानदंडों को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री  
(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ग) : सरकार ने व्यापार सुगम बनाने को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ अनुमोदन एवं अनापत्ति प्राप्त करने की पद्धति में सुधार लाना शामिल है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उनकी स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों के दौरान अनुपालन भार को सरल और आसान बनाने के लिए राज्यों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय श्रम एजेंसियों को परामर्श जारी किया है।

(घ) से (ङ) : कुछ राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की पोर्टल अथवा वन स्टॉप सौल्यूशन के माध्यम से स्व-प्रमाणन के आधार पर कतिपय अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रदान किए जाते हैं।

(च) : हाल ही में सरकार ने व्यापार सुगम बनाने को और अधिक बढ़ावा देने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें (i) 8 श्रम कानूनों और 10 संघीय विनियमों के लिए सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था, (ii) वायु और जल प्रदूषण कानूनों के तहत पर्यावरण अनापत्ति के लिए एकल मंजूरी और, (iii) स्व-प्रमाणन के आधार पर रिटर्न स्वीकार करना आदि शामिल है।

\*\*\*\*\*